रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062020-219822
CG-DL-E-08062020-219822

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2020/ज्येष्ठ 18, 1942
No. 188] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2020/JYAISTHA 18, 1942

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2020

सं. भा.आ.प.-34(41)/2020-मेडि./103234.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 250 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुन: संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:-

1. (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 250 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, (संशोधन) 2020" कहा जाएगा।

(ii) ये, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "250 दाखिले प्रतिवर्ष के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999" में अनुसूची I में : "क.2 विभाग" के अंतर्गत "मेडिकल कालेजों और उनके संबद्ध अस्पतालों में आवास" शीर्षक के अंतर्गत "सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग" में प्रविष्टि संख्या 5 में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

घ क) विषाणु-विज्ञान सेवा प्रयोगशाला, **बीएसएल-2** स्तरीय प्रयोगशाला होगी। इस प्रयोगशाला में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे:

i. नमूना प्राप्ति क्षेत्र
ii. हस्त प्रक्षालन एवं पी पी ई पहनना / उतारना क्षेत्र

iii. जीव सुरक्षा केबिनेट और नमूना हैंडलिंग के लिए नामित क्षेत्र

iv. नामित किया गया प्रि-पी सी आर (आर एन ए निष्कर्षण एवं सांचा अभिवर्धन), पी सी आर (जाँच करने के लिए) और पोस्ट पी सी आर (परिणाम व्याख्या और विश्लेषण के लिए) कक्ष

v. बायोमेडिकल अपशिष्ट संबंधी कार्रवाई करने के लिए स्थान

3. “250 दाखिले प्रतिवर्ष के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999” में अनुसूची I में : “ख अध्यापन अस्पताल” शीर्षक के अंतर्गत “मेडिकल कालेजों और उनके अध्यापन अस्पतालों में आवास” के अंतर्गत “ख.8 अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन” निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“चिकित्सा संस्थान को जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन) नियम, 1998 का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और उसके पास बायो मेडिकल अपशिष्ट के पृथक्करण और फेंकने के लिए एक सुपरिभाषित व्यवस्था के साथ मानव उत्पत्ति वाले बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन पर एक मजबूत संस्थागत नीति भी होनी चाहिए। अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सुविधाएं, केन्द्र / राज्य सरकारों के विधानों के अनुरूप होगी।

4. “250 दाखिले प्रतिवर्ष के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999” में अनुसूची II में : “सूक्ष्मजीव-विज्ञान विभाग” में “स्टाफ की आवश्यकता” के पश्चात निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी :

नोट : विषाणु-विज्ञान सेवा प्रयोगशाला के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता होगी :

(i) विषाणु-विज्ञान में संकाय सदस्य / मेडिकल सूक्ष्म-जीव विज्ञानी प्रशिक्षित - I

(ii) तकनीशियन (आणविक विषाणु-विज्ञान में सुसंगत कार्य अनुभव वाले) - 2

(iii) मल्टी-टास्किंग स्टाफ - 1

5. “250 दाखिले प्रतिवर्ष के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999” में अनुसूची III में : “सूक्ष्मजीव-विज्ञान विभाग” में उपकरण (कालेजों और अस्पतालों में विभिन्न विभागों के लिए) में सूची में निम्नलिखित आशोधन किया जाएगा :

सूची में प्रविष्टि 4 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :

क्र.सं.	मदों का नाम	अपेक्षित संख्या
4.	बायोसेफ्टी केबिनेट (बी एस सी) श्रेणी 2क/2ख (अंशशोधित)	04

वर्तमान प्रविष्टि 53 के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएगी :

क्र.सं.	मदों का नाम	अपेक्षित संख्या
54	-80°सी डीप फ्रीजर, यूपीएस के साथ	01
55	फ्लूओरोफोरे डाइयों के लिए अंशशोधित रियल टाइम पी सी आर मशीन, यू पी एस के साथ (2, 2 केवीए प्रत्येक, 2 घंटे के बैक अप वाली)	01
56	माइक्रोसेंट्रीफ्यूज/रेफ्रीजरेटेड सेंट्रीफ्यूज	01
57	विषाणु-विज्ञान प्रयोगशाला के लिए उपयोज्य वस्तुएं (क) व्यक्तिगत संरक्षात्मक उपकरण (पी पी ई)। (ख) वायरल परिवहन माध्यम (वी टी एम)। (ग) सभी अन्य उपयोज्य वस्तुएं और किटें, जो विषाणु-विज्ञान अध्ययनों के लिए आवश्यक हों।	यथा अपेक्षित

डॉ. राकेश कुमार वत्स, महासचिव

[विज्ञानपन-III/4/असा./44/2020-21]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली, नामत: "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 250 दाखिलों के लिए न्यूंनतम शर्तें विनियमावली, 1999" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 16 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998- मेड. (ii) के अंतर्गत दिनांक 16 अप्रैल, 2010 को भारत के राजपत्र के भाग-।।। खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 03 नवम्बर, 2010, 04 नवम्बर, 2010, 19 मार्च, 2014, 03 जूलाई, 2015, 30 जनवरी, 2017, 28 अगस्त, 2017, 23 जनवरी, 2018, 05 फरवरी, 2019 और 29 अप्रैल, 2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

BOARD OF GOVERNORS IN SUPER-SESSION OF

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2020

No. MCI-34(41)/2020-Med./103234.—In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Board of Governors in Super-session of Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Minimum Standard Requirements for 250 Admissions Annually Regulations, 1999" namely:-

1. (i) These Regulations may be called the "Minimum Standard Requirements for 250 Admissions Annually (Amendment) Regulations, 2020."

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Minimum Standard Requirements for 250 Admissions Annually Regulations, 1999" in Schedule I: "Accommodation in the Medical College and its Associated Teaching Hospitals" under " A.2 Departments" in entry no. 5 in the "Department of Microbiology", following shall be added as under:

HA) The Virology Service Laboratory shall be a BSL-2 level laboratory. The Laboratory shall include the following areas:-

i. Sample receiving area
ii. Handwashing & PPE donning/doffing zone
iii. Designated area for Biosafety cabinet and sample handling
iv. Designated pre-PCR (RNA extraction & template addition), PCR (for running the assay) and post PCR (for result interpretation & analysis) rooms.
v. Space for handling biomedical waste

3. In the "Minimum Standard Requirements for 250 Admissions Annually Regulations, 1999" in Schedule I: "Accommodation in the Medical College and its Associated Teaching Hospitals" under heading "B. Teaching Hospitals" under entry "B.8 Hospital Waste Management", the following shall be substituted:

The Medical Institution must ensure compliance with the Bio-medical Waste (Management & Handing) Rules, 1998 and also have a robust institutional policy on biomedical waste management of human origin, with a well-defined arrangement for segregation and discarding of biomedical waste. Facilities for hospital waste management shall be commensurate with the Central/State legislations.

4. In the "Minimum Standard Requirements for 250 Admissions Annually Regulations, 1999" in Schedule II: "Staff Requirements" in the "Department of Microbiology", after "Staff Requirement" following note shall be added as under:

Note: The following additional staff shall be required for the Virology Service Lab:

(i) Faculty/Medical Microbiologist trained in Virology -1

(ii) Technicians (with relevant work experience in Molecular Virology) – 2

(iii) Multi-Tasking Staff - 1

5. In the "Minimum Standard Requirements for 250 Admissions Annually Regulations, 1999" in Schedule III: "Equipment" (for various departments in College and Hospitals) in the "Department of Microbiology", in the list following modifications shall be made:-

Entry 4 in the list shall be substituted as under:-

S.No.	NAME OF THE ITEMS	No. REQUIRED
4.	Biosafety cabinet (BSC) class 2A/2B (calibrated)	04

After existing entry 53 following entries shall be added:-

S.No.	NAME OF THE ITEMS	No. REQUIRED
54.	-80°C deep freezer with UPS	01
55.	Real-time PCR machine calibrated for the fluorophore dyes with UPS (2 nos., 2KVA each, with 2 hours back-up)	01
56.	Microcentrifuge / Refrigerated Centrifuge	01
57.	Consumables for Virology Lab (a) Personal protective equipment (PPE) (b) Viral Transport Medium (VTM) (c) All other consumables and kits as required for Virology studies.	As required

Dr. RAKESH KUMAR VATS, Secy. Gen.

[ADVT.-III/4\Exty./44/2020-21]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Minimum Standard Requirements for 250 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 16th April, 2010, vide Medical Council of India Notification No.35(1)/98-Med. (ii) dated the 16th April, 2010 and further amended vide MCI notification dated 3rd November, 2010, 4th November, 2010, 19th March, 2014, 3rd July, 2015, 30th January, 2017, 28th August, 2017, 23rd January, 2018, 5th February, 2019 and 29th April, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.08 20:41:48 +05'30'